उत्तर प्रदेश सरकार
ऊर्जा अनुभाग– 3
संख्याः 1026 /चौबीस–पी–3–2013
लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2013

अधिसूचना

पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रॉयलर पैरेन्ट फार्म खोले जाने एवं इसकी मॉनीटरिंग, प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण इत्यादि का स्टेट पोल्ट्री डेवलेपमेंट बोर्ड के माध्यम से कराये जाने की पंचवर्षीय योजना विषयक नीति पशुपालन विभाग द्वारा बनायी गयी है :

उक्त नीति में यह प्राविधान किया गया है कि कुक्कुट पालन की इकाइयों को प्रारम्भिक 10 वर्षों तक उनके द्वारा उपयोग की गयी वास्तविक विद्युत पर शुल्क देय नहीं होगा।

अतएव अब उक्त नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से राज्यपाल, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1952) की धारा–3 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह निदेश देते हैं कि कुक्कुट पालन की इकाइयों को प्रारम्भिक 10 वर्षों तक उनके द्वारा उपयोग की गयी वास्तविक विद्युत पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट रहेगी, जो निम्नवत् होगी :–

क्रमांक	कुक्कुट पालन की इकाई	विद्युत क्षमता	अधिकतम विद्युत खपत	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर देय अधिकतम छूट की सीमा (रू0)
1	कामर्शिलय लेयर्स फार्म की एक इकाई (30000 पक्षी क्षमता)	10 किलोवाट	2000 यूनिट प्रतिमाह	रू0 1200.00 मात्र प्रतिमाह
2	ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की एक इकाई (10000 पक्षी क्षमता)	10 किलोवाट	4000 यूनिट प्रतिमाह	रू0 2400.00 मात्र प्रतिमाह

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त छूट तभी अनुमन्य होगी, जब पशुपालन निदेशालय द्वारा इकाई के छूट हेतु पात्र होने का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय तथा उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर जिला पशुधन अधिकारी, अधिशाषी अभियंता, संबंधित विद्युत वितरण खण्ड एवं संबंधित रीजन के उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर संतुष्टि प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय। छूट अनुमन्य होने पर छूट का दुरूपयोग न हो, इस आशय से विद्युत सुरक्षा निदेशालय के संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छूट का प्रयोग उसी मद में किया जा रहा है, जिस मद के लिए यह छूट अनुमन्य की गयी है।

आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

....2/

<u>संख्या एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2— सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।

5— कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6— पशुधन अनुभाग—2।

7— संयुक्त अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12—सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।

8— संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की सिर्फ हिन्दी प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को उ0प्र0 के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट, भाग—4, खण्ड—(ख) में शीघ्र प्रकाशित कराकर 200 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)

उप सचिव।